क्रम-संख्या–10

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, शनिवार, 8 जनवरी, 2022

पौष 18, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 17 / 79-वि-1–22-2-क-4-2022
लखनऊ, 8 जनवरी, 2022

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2022) जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग–1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2022

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2022)

[भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं :–

1–यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2022 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 की अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में संशोधन

2–उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में, क्रम संख्या 15 पर, क्रम संख्या 15 की प्रविष्टियां निकाल दी जायेंगी और उक्त अनुसूचियां तद्नुसार पुनः संख्याकित की जायेंगी :

परन्तु यह कि उक्त संशोधन यू0जी0सी0 (समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान) विनियम, 2017 के अधीन पूर्वोक्त अनुसूचियों में क्रम संख्या 15 पर "समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान" के रूप में सूचीबद्ध विश्वविद्यालय की अधिसूचना के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

आनंदीबेन पटेल,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

———

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

———

No. 17(2)/LXXIX-V-1–22-2-ka-4-2022
Dated Lucknow, January 8, 2022

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhyadesh, 2022 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 4 of 2022) promulgated by the Governor. The Uchcha Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ORDINANCE, 2022

(U.P. ORDINANCE NO. 4 OF 2022)

[*Promulgated by the Governor in the Seventy-second Year of the Republic of India*]

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance :–

Short title

1. This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Ordinance, 2022.

2. At serial no. 15 in Schedule 1 and Schedule 2 of the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019, the entries at serial no. 15, shall be deleted and the said Schedule shall be renumbered accordingly :

Amendment of Schedule 1 and Schedule 2 of U.P. Act no. 12 of 2019

Provided that the said amendment shall come into effect from the date of notification of the University Scheduled at serial no. 15 in the aforesaid Schedules as 'Institution of Eminence Deemed to be University' under UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017.

ANANDIBEN PATEL
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 545 राजपत्र–2022–(1207)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 151 सा0 विधायी–2022–(1208)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।